

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 334/वि०स०/संसदीय/34(सं)/2017

लखनऊ, दिनांक 22 मार्च, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 22 मार्च, 2017 सर्वसाधारणे की सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :--

“ ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद-180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नाईक, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्री फतेह बहादुर को, जो निर्वाचन क्षेत्र कैम्पियरगंज से विधान सभा के सदस्य हैं, उस समय तक के लिये जब तक कि संविधान के अनुच्छेद-178 के अनुसार विधान सभा द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन न कर लिया जाय, संविधान के अनुच्छेद-179 के द्वितीय परन्तुक के अर्धान रहते हुये, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता हूँ।

राम नाईक,

राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।”

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 334(1)/वि०स०/संसदीय/34(सं)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :--

- 1-माननीय सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
- 2-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 3-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 4-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,
- 5-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
- 6-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,